

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बिजनौर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 31 जुलाई, 2020

विषय- केन्द्रीय कारागार बरेली के सिद्धदोष बंदी साजिद अकबर पुत्र हकीम अली अकबर, निवासी-मो० कटारमल, थाना-चान्दपुर, जनपद-बिजनौर को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-268/जि०प्र०का०/बंदी-पै०/2020-21, दिनांक 30-07-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार बरेली के सिद्धदोष बंदी साजिद अकबर पुत्र हकीम अली अकबर, निवासी-मो० कटारमल, थाना-चान्दपुर, जनपद-बिजनौर को शासनादेश संख्या-32/2020/45जेपीआर/22-3-2020-800(107)/2018, दिनांक 28-05-2020 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-51/2020/1467जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र०।
- 2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।